

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या— सं०का०-१/वि०मं०(नेता वि० दल, सं०स०, सच० और स०नेता)०५-०२/२०१७-७८४/ पटना, दि०-१२.०९.२०२४

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, २००६ (अधिनियम सं०-१६, २००६) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा ८ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, २०२४

१. संक्षिप्त नाम और आरंभ। — (i) यह नियमावली बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, २०२४ कही जा सकेगी।
(ii) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
२. उक्त नियमावली के नियम-३ में निहित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त स्पष्टीकरण ३ (ग) निम्नांकित रूप में सम्मिलित किया जायेगा :—

"विधान मंडल के दोनों सदनों के सचेतक, सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें पाने के हकदार होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(सुशील कुमार मिश्र)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— सं०का०-१/वि०मं०(नेता वि० दल, सं०स०, सच० और स०नेता)०५-०२/२०१७-७८४/ पटना, दि०-१२.०९.२०२४

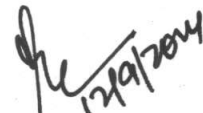
प्रतिलिपि—महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— सं०का०-१/वि०मं०(नेता वि० दल, सं०स०, सच० और स०नेता)०५-०२/२०१७-७८४/ पटना, दि०-१२.०९.२०२४

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध करना है कि अधिसूचना की १००० (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें एवं आई०टी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
॥ अधिसूचना ॥

संख्या— सं०का०-१/वि०मं०(नेता वि० दल, सं०स०, सच० और स०नेता)०५-०२/२०१७-७८५/ पटना, दि०-१२.०९.२०२४
संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-७८४ दिनांक १२.०९.२०२४ का निम्नलिखित
अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के
अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -
(सुशील कुमार मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

Parliamentary Affairs Department

Notification

P.A.-1/V.M.(N.V.D.,S.S.,S.&S.N.)-05-02/2017-784/

Patna, Dated-12.09.2024

In exercise of the powers conferred by section 8 of the Bihar Legislature (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 2006 (Act No. 16, 2006) (As amended from time to time), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend Bihar Legislature Leader of the Opposition, Parliamentary Secretary, Whip and Leader of the House (Salary and Allowances) Rules, 2006:-

Bihar Legislature Leader of the Opposition, Parliamentary Secretary, Whip and Leader of the House (Salary and Allowances) (Amendment) Rules, 2024

1. Short title and commencement.-

(1.) These Rules may be called the Bihar Legislature Leader of the Opposition, Parliamentary Secretary, Whip and Leader of the House (Salary and Allowances) (Amendment) Rules, 2024.

(2.) This Notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

2. In addition to the Explanation contained in Rule -3 of the said Rules the Explanation 3(iii) shall be added as follows:

"Whip of both the Houses of the Legislature shall be entitled to pay, allowances and other facilities at par with the State Minister of the Government."

By the order of the Governor of Bihar

Sd/-
(Sushil Kumar Mishra)
Deputy Secy. to Government.

Memo No.:- P.A.-1/V.M.(N.V.D.,S.S.,S.&S.N.)-05-02/2017-785/Patna, Dated-**12.09.2024**

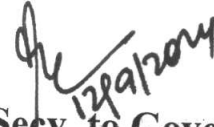
Copy forwarded to Accountant General, Veerchand Patel Path, Bihar, Patna/
Secretary In-charge, Bihar Legislative Assembly/ Secretary, Bihar Legislative Council/
Principal Secretary to Hon'ble Governor of Bihar, Patna/ Principal Secretary to Hon'ble
Chief Minister, Bihar, Patna/ Private Secretary to Hon'ble Minister, Parliamentary Affairs
Department/ Finance Department/ Law Department/ All Departments of Government/
Advocate General, Bihar, Patna / Treasury Officer, Secretariat Treasury, Sinchai Bhawan,
Patna for information and necessary action.

Sd/-

Deputy Secy. to Government.

Memo No.:- P.A.-1/V.M.(N.V.D.,S.S.,S.&S.N.)-05-02/2017-785/ Patna, Dated-**12.09.2024**

Copy forwarded to Superintendent, Secretariat Press Gulzarbagh, Patna for
publication in the extra ordinary issue of Bihar Gazette. It is requested that 1000 (one
thousand) printed copies be made available to the Department/ I.T. Manager,
Parliamentary Affairs Department, Patna for uploading on the Departmental Website.



Deputy Secy. to Government.